

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची

नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएँ) योजना, 2015 - संक्षिप्त परिदृश्य

आदिवासी कौन हैं

संविधान के अनुच्छेद (25) के अनुसार अनुसूचित जनजाति वे हैं जो अनुच्छेद-342 के अन्तर्गत जनजातिय समुदाय के रूप में सूचीबद्ध हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 10,42,81,034 है जो कि देश की कुल जनसंख्या की 8.6 प्रतिशत है।

अति संवेदनशील जनजातीय समूह (पी.बी.टी.जी.)

जनजातीय समूहों में कुछ जनजातियां अपनी अत्यधिक दुर्बलता के कारणवश विशेष रूप से अतिसंवेदनशील जनजातीय समूह (पी.बी.टी.जी.) की श्रेणी में रखी गई हैं। वर्तमान में 75 जनजातीय समूह इस श्रेणी में शामिल हैं जिनकी पहचान निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर की गई है: 1) वन आश्रित आजीविका, 2) कृषि पूर्व जीवन स्तर, 3) स्थिर एवं घटती जनसंख्या, 4) निम्न साक्षरता दर तथा 5) जीविका आधारित अर्थव्यवस्था। इस श्रेणी की कुल जनसंख्या का अधिकांश भाग छह राज्यों महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश एवं तमिलनाडु में रहता है।

इस योजना का उद्देश्य

योजना का लक्ष्य भारतवर्ष में जनजातियों तक न्याय की पहुंच को सुनिश्चित करना है। ऐस्याय तक पहुंच की अवधारणा अपने तमाम अर्थों में अधिकारों तक पहुंच, लाभ, विधिक सहायता, अन्य विधिक सेवाएं इत्यादि को सुगम बनाता है ताकि संविधान के सामाजिक, अर्थिक एवं राजनैतिक न्याय को सुनिश्चित करने के बचन का देश में जनजातियों द्वारा भी पूर्णरूप से अनुभव किया जा सके। जनजातियों को कई विधिक अधिकार दिये गये हैं निम्नलिखित अधिनियमों द्वारा:

- ❖ अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
- ❖ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- ❖ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009
- ❖ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013
- ❖ पंचायत के प्रावधान (अनुसूची क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996
- ❖ भारतीय संविधान की पांचवीं एवं छठी अनुसूची।

यह अनुभव में आशा है कि जनजातीय समुदाय के लोगों के वास्ते बने प्रावधानों को कठोरतापूर्वक लागू नहीं किया जाता, जिसके चलते उनके विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है। ऐसा उल्लंघन ही जनजातियों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। इस योजना का आशय यह है कि इन विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो।

जनजातीय समुदाय के लोगों की समस्याओं का विवरण

- ❖ साक्षरता की कमी
- ❖ नक्सलबाद तथा सशस्त्र विवाद
- ❖ वनक्षेत्र से निर्वासन
- ❖ भूमि सम्बंधी समस्याएं-यथा-पुनर्वास एवं पुनरुद्धार कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि का नहीं बदला जाना तथा वन अधिकारों की सुरक्षा हेतु विधिक प्रावधान का अभाव।
- ❖ विधिक समस्याएं-यथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वास अधिकारों का दावा करने में उत्पन्न समस्याएं।
- ❖ अंडमान निकोबार में छुजरावाश जनजाति यौन-शोषण की घटनाएं भी ज्ञेलती हैं। यहां तक की जनजाति के लोगों से डी.एन.ए. टेस्टिंग के लिए ब्लड सैंपल बिना उनके सूचित सहमति के देने के लिए कहा जा चुका है।
- ❖ योजना आयोग के एक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि 43.6% पुनरुद्धारित बंधुआ मजदूर अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। इससे स्पष्ट है कि जनजातीय समूह के लोग बंधुआ मजदूरी में नंसाए जाते हैं जिसका कारण ऋणग्रस्तता एवं आहार है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कर्तव्य

- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को जनजातियों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसे जनजातीय समुदायों एवं सरकार तथा न्यायपालिका के बीच के नसले को खत्म करना है।
- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को जनजातियों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसे जनजातीय समुदायों एवं सरकार तथा न्यायपालिका के बीच के नसले को खत्म करना है।
- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का कर्तव्य है कि जनजातीय समुदायों से अधिवक्ताओं के एक अन्य पैनल का गठन किया जाय जिन्हें अच्छी नीस का भुगतान किया जाना चाहिए।
- ❖ यह भी कर्तव्य है कि जनजातीय लोगों को मुकदमेबाजी में योग्य विधिक सहायता दी जानी चाहिए एवं उपयुक्त मुकदमों में उनके पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाना चाहिए।
- ❖ पैनल के अधिवक्तागण जनजातीय लोगों को प्रक्रिया एवं विधि को स्पष्ट करते हुए उनका न्यायालयों में ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करें ताकि व्यवस्था के प्रति अविश्वास समाप्त किया जा सके एवं न्यायालय की प्रक्रियाओं की बेहतर समझ पैदा हो।
- ❖ पैनल अधिवक्तागण कारागारों में अवश्य जाएं एवं बिना जमानत दीर्घ अवधि की कैद से निपटने के लिए कारागारों में

- ❖ विधिक सेवा क्लिनिक की स्थापना करें एवं उन मुकदमों पर नजर रखें जहां आरोप सिद्ध न हो पाया हो ताकि कैद से जल्दी रिहाई हो सके।
- ❖ पैनल अधिवक्तागण पारा लीगल वॉलन्टियर की सहायता से जनजातीय लोगों को उनकी अधिगृहीत जमीन का मुआवजा दिलाना आसान बनाएं एवं उनके पुनर्वास हेतु उनकी सहायता करें।
- ❖ पारा लीगल वॉलन्टियर की सहायता से जनजातीय क्षेत्रों में मुद्दों, आवश्यकताओं, विधिक जरूरत एवं शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की अवश्य पहचान की जानी चाहिए एवं उपयुक्त मामलों में न्यायिक निवारण की कार्यवाही की जानी चाहिए।
- ❖ पूर्णकालिक विधिक सेवा प्राधिकार सचिव/न्यायिक अधिकारियों को जनजातीय क्षेत्रों के व्यक्तियों से बात करनी चाहिए ताकि उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की पहचान की जा सके एवं सक्षम विधिक सहायता दी जा सके।
- ❖ जहां कहीं भी जनजातीय व्यक्ति न्यायालय में अभियोजन का सामना कर रहा है वहां उसकी पहचान की जानी चाहिए एवं उसके विरुद्ध कार्रवाई के आरम्भ से विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा समुचित विधिक सहायता दी जानी चाहिए।
- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विधिक सेवा क्लिनिक अवश्य खोले जहां कि जनजातीय अधिवक्तागण का सुविधापूर्वक जाना सुगम हो।
- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकार बहु उपयोगी वाहन का अवश्य प्रयोग करें ताकि कम आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचा जा सके ताकि जनजातीय लोगों को आपराधिक, दीवानी, राजस्व अथवा बन अधिकारों के मामले में शीघ्र विधिक सहायता दी जा सके।
- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकार बन विभाग जैसे सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित करे ताकि प्राकृतिक वास-दावों एवं मुआवजा दावों का मोबाइल लोक अदालतों के द्वारा निपटारा किया जा सके।
- ❖ दीवानी एवं फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय जाने हेतु जनजातीय लोगों को शीघ्र विधिक सहायता दी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति उन समर्पित अधिवक्ताओं को अपने पैनल में रखे जो स्वयं जनजातीय हैं या जिन्हें जनजातीय मुद्दों की अच्छी समझ है एवं जो उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर सकते हैं।
- ❖ जब भी आवश्यकता हो माननीय कार्यकारी चेयरमैन, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अनुमोदन से सामाजिक न्याय मुकदमें आरम्भ किये जाएं।

पारा लीगल वॉलन्टियर के कर्तव्य

- ❖ प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकार संचियकीय एवं अन्य सरकारी विभागों की सहायता से जिलों के उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां जनजातीय आबादी है तथा पारा लीगल वॉलन्टियर के द्वारा उन तक पहुंचें।
- ❖ जनजातीय लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए तथा प्रभावकारी तरीके से विधिक सहायता देने के लिए यह आवश्यक है कि जनजातीय लोगों के माध्यम से ही पारा लीगल वॉलन्टियर का चयन किया जाये। जनजातीय समुदाय के लोगों से पी0एल0वी0 के अनन्य पैनल का निर्माण अवश्य किया जाना चाहिए।
- ❖ ऐसे पी0एल0वी0 को उनकी भूमिका के लिए उचित विधि से प्रशिक्षण दिया जाये ताकि वे सक्रिय रूप से जनजातीय लोगों तक पहुंच सकें।
- ❖ विधिक सेवा प्राधिकार जनजातीय समुदायों के बीच पी0एल0वी0 की सहायता से स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पी0एल0वी0 एवं स्थानीय विधिक सेवा प्राधिकार की सहायता से जरूरतमंद जनजातीय व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। ऐसे जनजातीय लोगों को उचित स्वास्थ्य योजनाओं के लाभों के साथ-साथ स्वास्थ्य सहायता एवं दवाएं उपलब्ध कराने में आसानी लाई जाए।
- ❖ जब भी विद्यालयों, अध्यापकों की अनुपस्थिति एवं जनजातीय बच्चों की प्रताड़ना जैसे मामले आयें, तो पी0एल0वी0 तत्काल जनजातीय लोगों की आवाज बनें एवं सम्बंधित विधिक सेवा प्राधिकार को सूचित करें।
- ❖ पी0एल0वी0 तस्करी के पीड़ितों की पहचान, उन्हें मुआवजा दिलाने तथा उन्हें पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता करें।
- ❖ जब पीड़ितों की गवाही हो तो पी0एल0वी0 पीड़ितों के साथी के रूप में सहयोग करें।
- ❖ जनजातीय लोगों के पास अधिकतर भूमि का दस्तावेजी सबूत नहीं होता, ऐसे मामलों में उन्हें उचित मुआवजा एवं पुनर्वास प्राप्त करने के लिए विधिक सहायता की आवश्यकता होती है। पी0एल0वी0 समस्त दस्तावेजों एवं सबूतों को एकत्र करने में जनजातीय लोगों की सहायता करें।
- ❖ पी0एल0वी0 कारागार जाएं एवं बैंदियों से उनके मुकदमों के बारे में बात करें एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को रिपोर्ट करें ताकि उन्हें जमानत पर छुड़वाने या जल्दी सुनवाई के लिए तुरन्त कार्यवाही की जा सके।

जागरूकता कार्यक्रम

- ❖ जनजातीय क्षेत्रों में विधिक जानकारी कार्यक्रमों में दूश्य-श्रव्य साधन अधिक उपयोगी होंगे।
- ❖ जनजातीय लोगों के बीच बन विधि एवं विधि के प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामों के बारे में विधिक जानकारी फैलाने की आवश्यकता है।
- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकार शिक्षा के लाभों, उनके अधिकारों एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं आधुनिक तकनीक के लाभों के अन्तर्गत प्राप्ति के बारे में जनजातीय समुदाय को जागरूक करने के लिए सघन विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें।
- ❖ जनजातीय क्षेत्रों में क्षेत्र में कार्यरत एन0जी0ओ0 के साथ सुरक्षित पेयजल, पोषण एवं गर्भवती स्त्री के देखभाल के लाभों के बारे में बताने के लिए स्वास्थ्य जानकारी कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए।
- ❖ राज्य विधिक सेवा प्राधिकार भाषायी भेद को कम करने के लिए ग्राम में एक सामुदायिक रेडियो की स्थापना जैसे अन्य कदम उठाने चाहिए।

मदद वास्ते

किसी भी तरह के मदद के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (website-www.jhalsa.org, Email-jhalsaranchi@gmail.com, Mobile-8986601912, 9431387340, Telephone-2482030, 2481520) अथवा संबंधित जिला/अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार/समिति से संपर्क किया जा सकता है।

